

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक- 22.4.19

संख्या-18(प्रो0को0)/ए0सी0पी0-01-07/2014 62(4) (1) /स्वा0, बिहार स्वास्थ्य सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के कुल-07 (सात) निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारियों/चिकित्सक शिक्षकों को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 6 एवं 7 में अंकित तिथि से प्रथम एवं द्वितीय ए0सी0पी0 की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0 स0	चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सक शिक्षक	वरीयता क्रमांक (2008)	जन्मतिथि	योगदान की तिथि	प्रथम ए0सी0पी0 की देय तिथि/वेतनमान-10 000-15200	द्वितीय ए0सी0पी0 की देय तिथि/वेतनमा न-12000-165 00
1	2	3	4	5	6	7
1.	डा0 नीना अग्रवाल	—	20.08.1963	06.11.1990	06.11.2002	—
2.	डा0 शिव नारायण राय	—	03.07.1959	15.11.1990	06.03.2004	—
3	डा0 योगेश कृष्ण सहाय	9212	07.01.1959	03.11.1990	03.11.2002	—
4	डा0 जयप्रकाश साह	6681	08.02.1955	21.03.1988	07.09.2000	—
5.	डा0 आलोक शर्मा	7212	15.11.1958	17.03.1988	17.03.2000	—
6.	डा0 चन्द्रेश्वर प्रसाद वर्मा सेवानिवृति तिथि 28.02.2002	—	14.12.1944	29.05.1971	09.08.1999	09.08.1999
7	डा0 उमा शंकर पाठक सेवानिवृति तिथि 31.08.2017	2626	20.08.1950	08.06.1976	—	08.06.2000

- वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या- 4685 वि(2) दिनांक-25.06.2003 के प्रावधानों के तहत 12 वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान- 10000-15200/- रुपये जिसका पुनरीक्षित वेतनमान 15600-39100/-वेतन बैंड- पी0बी0-3, ग्रेड पे-6600/- रुपये एवं 24 वर्ष की सेवा के उपरान्त द्वितीय ए0सी0पी0 वेतनमान- 12000-16500/- रुपये जिसका पुनरीक्षित वेतनमान 15600-39100/- वेतनबैंड- पी0बी0-3, ग्रेड पे- 7600/- रुपये अनुमान्य है। वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या- 4685 वि(2) दिनांक-25.06.2003 के कंडिका (1) (3) के आलोक में ए0सी0पी0 योजना दिनांक-09.08.1999 से प्रभावी है।
- इस अधिसूचना में जिन चिकित्सकों की सेवा अवधि अविनियमित रहने की सूचना है, उनकी अविनियमित अवधि के कारण ए0सी0पी0 की देय तिथि आगे बढ़ाया गया है। ऐसे मामले में ए0सी0पी0 दिये जाने के बाद यदि चिकित्सक सेवा अवधि के विनियमन का साक्ष्य उपलब्ध कराते है तो प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आदेश से ए0सी0पी0 की देय तिथि तदनुसार संशोधन किया जायेगा।
- भविष्य में यदि इस अधिसूचना में कोई त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित मामले में ए0सी0पी0 के तहत दी गई स्वीकृति की तिथि से परिमार्जित की जा सकेगी तथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली संबंधित चिकित्सक शिक्षकों से किया जायेगा।

१२

5. इस अधिसूचना में किसी चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सक शिक्षक का नाम/योगदान की तिथि/जन्म तिथि एवं ए0सी0पी0 की अनुमान्यता की तिथि में कोई संशोधन अपेक्षित होगी तो इसके संशोधन के लिए प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग प्राधिकृत हैं।
6. इस वित्तीय उत्क्रमण के फलस्वरूप वेतन एवं पेंशन का निर्धारण (Fixation of Pay & Pension) वित्त विभाग के मौलिक नियमों (Fundamental Rules) के अनुसार महालेखाकार (ले0 एवं ह0) कार्यालय/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग द्वारा किया जायेगा।
7. महालेखाकार (ले0 एवं ह0) एवं वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग अधिसूचित ए0सी0पी0 के संबंध में वेतन पर्ची निर्गत करने के पूर्व उनकी देयता की जाँच पूर्ण रूप से कर लेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


ह0/-

(अनिल कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

- ज्ञापांक- 18(प्रो0को0)/ए0सी0पी0-01-07/2014- 62(प्र0श0) स्वा0,पटना, दिनांक-22.4.19
- प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्राधिकार पत्र निर्गत होने के पूर्व अपने सेवा अभिलेख से यह सुनिश्चित हों लें कि सम्बंधित चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सक शिक्षक, ए.सी.पी. स्वीकृति हेतु सभी अर्हताएँ पूरी करते हैं।
- प्रतिलिपि- अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक/सभी सिविल सर्जन/सभी प्राचार्य, अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/संबंधित सभी चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सक शिक्षक को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे अपने स्तर से ज्ञापांक अंकित कर अपने जिला से सम्बंधित चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सक शिक्षक को इसकी प्रति निश्चित रूप से प्राप्त करा दें।
- प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष विभागीय प्रोन्नति समिति, बिहार, पटना के आप्त सचिव /प्रधान सचिव-सह-सदस्य, विभागीय प्रोन्नति समिति, वित्त विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/उप सचिव-सह-सदस्य, विभागीय प्रोन्नति समिति, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें के निजी सहायक/स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी- 2, 3, 7, 9 एवं 17 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



 22.4.2019

सरकार के संयुक्त सचिव।